

18-8-23 पत्रावली चेश दुई वकील वादी उपस्थित।  
वकील वादी द्वारा दावा विद्ने कबनायाह, अतः  
दावा विद्ने कबने की अनुमति दी जाती है।  
पत्रावली फ़ैसल शुभाव होकर नम्बर  
से कम हो।

18.8.23  
उपपण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)



5<sup>th</sup>  
दस्ता  
विद्ने  
का 22/23